छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र. GENCOR/27/2024-GAD-13 दिनांक 12/12/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादन के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांकGENCOR/27/2024-GAD-13 दिनांक 24.04.2025

--00—

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी, और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारम्भ किया गया है। मंत्रालय के समस्त विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।

2/ शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

(अ) 01 जनवरी, 2026 से समस्त विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय मे संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाईल संचालित नहीं किया जाए।

(ब) ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो, उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाईल (File) के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट (Receipt) के माध्यम से किये जाए।

(स) अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए ।

(द) सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम से आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं ।

3 / यथासंभव दस्तावेज को Digitally Generate किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात् स्कैन कर अपलोड करना हतोत्साहित किया जाए।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्र. GENCOR/27/2024-GAD-13 दिनांक 12/12/2025

प्रतिलिपः-

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. अवर सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with OKEN Scanner